Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
25 अगस्त 2017

पॉपुलर फ्रंट के हस्तक्षेप से झारखण्ड में भीड़ हत्या के 14 आरोपियों की ज़मानत की अर्ज़ी कोर्ट ने की रद्द

झारखण्ड में चार मुस्लिम पशु व्यापारियों की बेरहमी से हत्या के जुर्म में गिरफ्तार 14 आरोपियों की ज़मानत की अर्ज़ी पर पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के नतीजे में सेशन कोर्ट ने आरोपियों की अर्ज़ी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

18 मई 2017 को झारखण्ड के सरायकेला जिले के शोभापुर गांव में चार मुस्लिम पशु व्यापारियों को बेकाबू भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस गैरइंसानी अपराध में लिप्त होने के आरोप में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। पॉपुलर फ्रंट के लीडरों ने पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की और उनके अनुरोध पर इंसाफ की इस लड़ाई में उन्हें हर तरह की क़ानूनी मदद देने का फैसला किया। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन ई. अबूबकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी भीड़ की हिंसा के शिकार लोगों के घरों का दौरा किया और उनके परिजनों से हर संभव सहायता का वादा किया।

संगठन के प्रदेश लीडरों ने बताया कि उन्हें वकीलों की तलाश में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अकसर वकील इस केस में बेखौफ होकर हाथ डालने से हिचकिचा रहे थे। इलाके के लगातार दौरे और बड़ी कोशिशों से उनका विश्वास बहाल करने के बाद आखिरकार उनमें से कुछ लोग इस केस को लेने के लिए तैयार हुए। लीडरों को राँची से भी वकीलों की सहायता लेनी पड़ी। उनकी मदद से पॉपुलर फ्रंट के लीडरों ने आरोपियों की ओर से दी गई ज़मानत की हर अर्ज़ी के खिलाफ आपत्ति याचिका दाखिल की और कत्ल के 14 आरोपियों की ओर से दी गई ज़मानत की 9 याचिकाओं को सेशन कोर्ट में नामंज़ूर कराने में कामयाब हुए। चार अन्य आरोपियों की एक ज़मानत और एक अग्रिम ज़मानत की याचिका पर सुनवाई अभी बाकी है। पॉपुलर फ्रंट के झारखण्ड प्रदेश लीडरों का कहना है कि यह एक छोटी जीत है और हमारी कानूनी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक पीड़ितों को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता।

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया